"दिल्ली में प्रदूषण"

1083. **श्री दिग्विजय सिंह:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित महानगरों में से एक है;

(ख) क्या दिल्ली में वायु, ध्वनि और गंदगी से उत्पन्न सभी प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं और क्या यह भी सच है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में फेफड़े के रोगों में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को दूर करने हेतु कोई कार्य-योजना बनाई है; यदि हां, तो इसकी समयावधि क्या है और उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नगरों में निलम्बित धूलकणों के मामले में दिल्ली का चौथा स्थान है। ऐसा प्राकृतिक धूलभरी परिस्थितियों के अलावा औद्योगिक और मोटर गाड़ियों के उत्सर्जनों के कारण होता है। इस बारे में कोई वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि दिल्ली में दमा और दिल की बीमारियों के मामलों में वृद्धि हुई है।

(ग) दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(3) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश किया गया है तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(4) 1 अप्रैल, 1995 से पैट्रोल से चलने वाले उत्प्रेरक परिवर्तक लगी कारों के लिए सीसा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

(5) दिल्ली में पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण पर व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट 3 अगस्त, 1994 को प्रस्तुत कर दी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सिद्धांत रूप से उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को मान लिया है और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक क्रियान्वित समिति गठित की गई है।

(6) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के विनिर्माण और प्रयोग दोनों स्तरों पर उत्सर्जन के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। इस मानकों के प्रभावी अनुपलान हेतु एक कार्यक्रम शुरु किया गया है। विनिर्माण स्तर पर वाहनों के लिए 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी होने वाले सख्त मानक अधिसूचित किय गए हैं।

(7) उद्योगों के स्थल चयन और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश बनाए गए हैं।

(8) उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(9) सांविधिक दण्डात्मक उपबंधों तथा यानीय प्रदूषण से संबद्ध स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग पर जल-परिवहन सेवा

1084. **श्री नरेश यादव:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन विभाग गंगा नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग पर जल परिवहन सेवा आरम्भ करने का विचार रखता है;

(ख) क्या इसके लिए किन्हीं टर्मिनलों की व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) गंगा नदी में कार्गो के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के एक